

भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 के नियम 129)

आदेश पत्रक ता० से तक

केस का प्रकार TA Misc. Case No. 126/2019-20

आदेश पत्रक संख्या क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ												
18.9.19	आवेदक/आवेदिका श्रीमति झलक देवी, पति-स्व० सुदामा महतो, जाति-कुर्मी (अ.पि.वर्ग), ग्राम-ओटार, थाना-कराईकेला, जिला प० सिंहभूम ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। मौजा-ओटार, थाना नं०-42, खाता नं०-101, खेसरा नं०-1402, रकवा-65 डि० 38 वर्गकड़ी क्रेता श्रीमति पानसरी महतो, पति-श्री बलभद्र महतो, जाति-कुर्मी (अ.पि.वर्ग), ग्राम-ओटार, थाना-कराईकेला, जिला प० सिंहभूम के पास जमीन बक्री/भू-हस्तांतरण हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) प्रोभिजो "ए./बी." के अंतर्गत अनुमति हेतु आवेदन समर्पित किया है जमीन का विवरण है:- <table border="1"><thead><tr><th>मौजा</th><th>थाना सं०</th><th>थाना</th><th>खाता सं०</th><th>खेसरा सं०</th><th>रकवा एकड़ में</th></tr></thead><tbody><tr><td>ओटार</td><td>42</td><td>-</td><td>101</td><td>1402</td><td>64 डि० 38 वर्गकड़ी</td></tr></tbody></table> आवेदक पति के ईलाज हेतु 1,10,000/- (एक लाख दस हजार) रुपये की आवश्यकता होने के कारण आवेदित भूमि का कुल रकवा 64 डि० 38 वर्गकड़ी को कुल कीमत 1,10,000/- (एक लाख दस हजार) रुपये मात्र में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) प्रोभिजो "ए./बी." के अंतर्गत बिक्री करना चाहते हैं। आम सूचना निर्गत करें और अंचल अधिकारी बंदगाँव से अपना जाँच प्रतिवेदन स्पष्ट मंतव्य सहित दिनांक 3.10.19 तक मांग करें। अभिलेख दिनांक 4.10.19 को उपस्थापित करें। <i>Sum</i> 18.9.19 भूमि सुधार उपसमाहर्ता, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	मौजा	थाना सं०	थाना	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा एकड़ में	ओटार	42	-	101	1402	64 डि० 38 वर्गकड़ी	
मौजा	थाना सं०	थाना	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा एकड़ में									
ओटार	42	-	101	1402	64 डि० 38 वर्गकड़ी									